पंचायत आम निर्वाचन-2021

प्रस्तुतीकरण

प्रेक्षक-मार्गदर्शिका

एवं

सुलभ निदेश

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

दिनांक-07 एवं 10 सितम्बर, 2021

पंचायत आम निर्वाचन-2021

- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच पद के लिए निर्वाचन मतपत्र-मतपेटिका के माध्यम से तथा जिला परिषद् के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया तथा ग्राम पंचायत के सदस्य पद हेतु निर्वाचन M-2 मॉडल के EVM से कराने का निर्णय लिया गया है।

पद का नाम	निर्वाचन का माध्यम
ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच	मतपत्र-मतपेटिका
जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य	M 2 मॉडल EVM से

वैधानिक प्रावधान:-

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-K के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग में निहित प्लेनरी शक्तियों तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम,2006 की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षकों की नियुक्ति की जाती है।
- प्रेक्षक अपनी नियुक्ति की तिथि से मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण एवम अनुशासन के अधीन कार्य करेंगे।
- बिहार पंचायत राज अधिनियम,2006 की धारा 128 द्वारा प्रेक्षकों को पंचायत निर्वाचन के संचालन एवम मतों की गणना पर निगरानी रखने हेतु वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

प्रेक्षकों से अपेक्षा:-

प्रेक्षक के रूप में प्रशासनिक सेवा के अनुभवी पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि-

- ✓ आयोग को स्वतंत्र एवम् निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना
- ✓ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई एवं निष्पक्ष ढंग से पालन कराने हेतु अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- ✓ आयोग एवं मतदाताओं तथा प्रत्याशियों के बीच एक महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली कड़ी के रूप में कार्य करना।
- ✓ आयोग के आँख और कान के रूप में कार्य करना।

प्रेक्षकों के लिए सामग्री:-

- आयोग द्वारा प्रेक्षकों के लिए आयोजित ब्रीफिंग बैठक में एक पोर्टफोलियो बैग उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमे निम्नलिखित दस्तावेज़ होंगे-

1. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006
2. निर्वाचन की अधिसूचना
3. निर्वाचन संचालन से सम्बंधित निदेश
4. आदर्श आचार संहिता
5. पीठासीन पदाधिकारी के लिए मार्गदर्शिका
6. आयोग द्वारा निर्गत प्रतीक आवंटन आदेश
7. आयोग के पदाधिकारियों तथा आयोग में स्थापित नियंत्रण कक्ष का संपर्क नंबर।

आयोग से पत्राचार

- प्रेक्षक आयोग के सचिव से पत्राचार करेंगे तथा संपर्क में रहेंगे।
- अत्यंत गंभीर विषय मे उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के संबंध में प्रेक्षक राज्य निर्वाचन आयुक्त से सीधे भी संपर्क कर सकते हैं।

नियंत्रण कक्ष

- मतदान / पुनर्मतदान की तिथियों को आयोग कार्यालय में नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहता है, प्रेक्षक उक्त अवसर पर अपनी सूचनाओं को नियंत्रण कक्ष में प्रेषित कर सकेंगे।
- नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा प्रेक्षक से प्राप्त सूचनाओं को अभिलिखित किया जाएगा तथा इन सूचनाओ पर यथा आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

विमुक्ति या अवकाश हेतु अनुरोध

- प्रेक्षक द्वारा कर्तव्य से विमुक्ति का अनुरोध आयोग द्वारा विचारित नही होगा यदि विमुक्ति का अनुरोध पदाधिकारी द्वारा आयोग को सीधे समर्पित किया गया हो।
- प्रेक्षक (सुरक्षित प्रेक्षक सहित) आयोग की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार के अवकाश में प्रस्थान नहीं करेंगें जब तक कि निर्वाचन कार्य समाप्त नही हो जाये।
- अवकाश हेतु आवेदन पत्र सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को संबोधित किये जा सकेंगें।

भ्रमण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार

- प्रेक्षक अपना भ्रमण कार्यक्रम जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को यथेष्ठ अग्रिम में उपलब्ध कराएंगे ताकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उनके परिवहन और आवासन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
- प्रेक्षकों के भ्रमण कार्यक्रम के प्रचार प्रसार का दायित्व संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) का होगा।
- यात्रा आरम्भ करने के पूर्व प्रेक्षक आश्वस्त हो लेंगे कि उनका भ्रमण कार्यक्रम,उनके ठहराव स्थल तथा दूरभाष संख्या का व्यापक प्रचार-प्रसार क्षेत्र में समाचार पत्र सहित अन्य प्रचार माध्यमों से कराया गया है।

प्रेक्षकों को सुविधा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रेक्षकों के लिए निम्न व्यवस्था की जाएगी-

1. रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड से ठहराव स्थल तक प्रेक्षक को ले जाने एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु उपयुक्त वाहन की व्यवस्था।
2. प्रेक्षक की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मी।
3. स्थानीय क्षेत्र/परिस्थितियों से भिज्ञ किसी पदाधिकारी को प्रेक्षक के साथ प्रतिनियुक्त किया जाएगा। प्रेक्षक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी इच्छानुसार आवंटित क्षेत्र भ्रमण कर सकेंगे।
4. आवश्यकतानुसार विडियोग्राफर
5. प्राथमिक चिकित्सा किट (कोविड-19 किट के साथ)
6. सरकारी/अर्धसरकारी अतिथिगृहों में ठहरने की व्यवस्था

प्रेक्षक के लिए जिला प्रशासन से प्राप्त होने वाली सामग्री

ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) जिले में प्रतिनियुक्त प्रेक्षक को एक फोल्डर उपलब्ध कराएगा, जिसमे-

1. ज़िला का मानचित्र
2. निर्वाचन कार्यक्रम
3. मतदाता सूची
4. मतदान केंद्रों की सूची
5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची(आवंटित प्रतीक सहित)
6. जिले के वरीय /महत्वपूर्ण असैनिक एवम आरक्षी पदाधिकारियों का दूरभाष संख्या
7. निर्वाचन संचालन हेतु की गई व्यवस्था
8. मतगणना कार्यक्रम की तैयारी।

प्रेक्षकों के सामान्य दायित्व

- निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा पर नजर रखना
- क्षेत्र भ्रमण के दौरान अधिकतम मतदान केन्द्रों का रैण्डम आधार पर निरीक्षण तथा कमजोर वर्ग के मतदाताओं से वार्तालाप। इस आधार पर निर्वाची पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यथोचित कार्रवाई का सुझाव देना।
- विधि व्यवस्था की स्थिति से अवगत होना तथा स्वतंत्र/निष्पक्ष निर्वाचन हेतु सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति पर नजर रखना। संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर बल की प्रतिनियुक्ति की समीक्षा करना।
- मतदान हेतु की गयी तैयारी की समीक्षा
- मतदान दल का गठन एवं रैण्डमाईजेशन
- आदर्श आचार संहिता का अनुपालन पर ध्यान रखना
- प्रत्याशियों द्वारा किये जा रहे व्यय पर नजर रखना
- वज्रगृह एवं मतगणना स्थल की तैयारी का निरीक्षण
- मतदान के दिन मतदान केन्द्र का भ्रमण एवं मतदान पर नजर रखना
- पुर्नमतदान एवं स्थगित मतदान पर विस्तृत विवरण के साथ आयोग को प्रतिवेदन भेजना
- मतगणना कार्य का प्रेक्षण

प्रेक्षक - आगमन तथा प्रस्थान प्रतिवेदन

- सभी प्रेक्षक अपने संबंधित प्रखंड में पहुँचने के उपरांत आगमन से संबंधित प्रतिवेदन तथा प्रस्थान के उपरांत अपने प्रस्थान से संबंधित प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करेंगें।

प्रेक्षक का भ्रमण कार्यक्रम

- प्रेक्षक अपने आवंटित क्षेत्र कम से कम दो भ्रमण निश्चित रूप से करेंगे।
- प्रथम भ्रमण-
  - नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा से एक दिन पूर्व आवंटित क्षेत्र में योगदान करेंगे तथा संवीक्षा की समाप्ति तक रहेंगे।
  - संवीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के अंदर संवीक्षा से संबंधित बिंदुओं पर एक संक्षिप्त प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएंगे।
- द्वितीय भ्रमण-
  - द्वितीय भ्रमण चुनाव प्रचार से मतगणना की समाप्ति तक के लिए होगा।
  - द्वितीय भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन मतगणना समाप्ति की विधिवत घोषणा के उपरांत।

प्रथम भ्रमण में पेरक्षक दवारा जिन बिन्दुओं पर प्रतिवेदन भेजना है

- जिला प्रशासन एवं निर्वाचन तंत्र के बीच टीम भावना के संबंध में।
- निरीक्षण किये गए मतदान केन्द्रों और उससे संबंधित कोई विशिष्ट समस्या।
- आवंटित क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की स्थिति का स्वआकलन।
- निरोधात्मक गिरफ्तारी एवं अच्छे व्यवहार के लिए बंध-पत्र एवं प्रतिभूति के संबंध में।
- आदर्श आचार संहिता की जानकारी प्रत्याशियों को दिए जाने के संबंध में।
- लोक/निजी सम्पत्ति विरूपण के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में।
- परिसदन/निरीक्षण भवन/गेस्ट हाउस के उपयोग के संबंध में।
- मंत्रियों दवारा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय पदाधिकारी से भेंट के संबंध में।
- मतदान सामग्रियों की उपलब्धता के संबंध में।

प्रथम भ्रमण के समय .....contd

- मतदान दल के रैंडम आधार पर गठन के संबंध में।
- प्रत्याशियों को मतदाता सूची दिए जाने के संबंध में।
- ई वी एम और मतपेटिका की उपलब्धता एवं तैयारी के संबंध में।
- मतपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था के संबंध में
- कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के संबंध में

प्रेक्षक द्वारा प्रथम भ्रमण से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन भ्रमण समाप्ति के तुरंत बाद आयोग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

द्वितीय भ्रमण में प्रेक्षक द्वारा जिन बिन्दुओं पर प्रतिवेदन भेजना है

- आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।
- आयोग के निदेश के आलोक में मतदान हेतु ई.वी.एम एवं मतपेटिका की तैयारी के संबंध में।
- बज्रगृह की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में।
- पोल्ड मतपेटिकाओं एवं पोल्ड ई.वी.एम. (सुरक्षित सहित) को प्राप्त करने की व्यवस्था के संबंध में।
- संग्रहण स्थल पर पीठासीन पदाधिकारी की डायरी पढ़ने हेतु की गई व्यवस्था के संबंध में।
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में कराने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक द्वारा की गई व्यवस्था के संबंध में।

द्वितीय भ्रमण के समय.....
..contd

- संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान में जिला प्रशासन द्वारा अपेक्षित सावधानी एवम सतर्कता बरतने तथा इन मतदान केंद्रों पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु की गई व्यवस्था के संबंध में।
- मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार रोके जाने के संबंध में।
- मतदान दल एवम मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में।
- मतदान की तिथि को निरीक्षण किये गए मतदान केंद्रों की सूची एवम तत्तसम्बन्धी प्रतिवेदन भेजने के संबंध में
- मतगणना प्रक्रिया की पूरी निगरानी।
- मतों की गणना में कोई अनियमितता न हो।
- निर्वाचन परिणाम की विवरणी प्रपत्र-21 पर हस्ताक्षर करना।

पुनर्मतदान एवँम स्थगित मतदान

मतदान के उपरांत प्रेक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन आयोग द्वारा पुनर्ममतदान एवं मतदान स्थगन के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होगा।

अतएव प्रेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों के भ्रमण के दौरान मतदान केन्द्रों पर घटित घटनाओं यदि कोई हो, का विस्तृत विवरण आयोग को प्रेषित करें।

अन्यान्य

- प्रेक्षक मतदान की तिथि कोअपना भ्रमण कार्यक्रम गुप्त रखेंगे तथा इसकी पूर्ण जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी को भी देने की आवश्यकता नही होगी।
- प्रेक्षक मतदान तिथि को मतदान अवधि में यथासंभव अधिकतम मतदान केंद्रों के भ्रमण सुनिश्चित करेंगे क्योंकि मतदान तिथि को प्रेक्षक की उपस्थिति ही मतदान को दूषित करने या मतदान हेतु गलत तरीके अपनाने पर रोक का काम करेगी।
- मतदान केंद्र पर कब्ज़ा किये जाने या अन्य गंभीर अनियमितता प्रकाश में आने पर प्रेक्षक अविलंब इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी ,जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)तथा राज्य निर्वाचन आयोग को देंगे।
- प्रेक्षक मतदान केंद्र के अंदर जा सकेंगे और मतदान दल द्वारा की जा रही कार्यवाई की समीक्षा कर सकेंगे।
- मतदान के समापन के उपरांत मतदान का प्रतिशत और मतदान के संबंध में आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिवेदन की एक प्रति प्रेक्षक प्राप्त कर अपने प्रतिवेदन के साथ आयोग को भेजेंगे।

प्रेक्षक- क्या करें/ क्या न करें

क्या करें:-

1. आयोग द्वारा समय समय पर नियत बैठकों में अवश्य भाग लें।
2. सुनिश्चित करें कि सभी कागज़ात आपको सही हालत में प्राप्त कराए गए हैं।
3. अपने कार्यालय और आवास का सही पता ,दूरभाष संख्या सहित सचिव को उपलब्ध करा दें। इनमे समय समय पर हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, की भी सूचना आयोग को दें।
4. अपने भ्रमण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर इसे आयोग तथा संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें।
5. आयोग द्वारा नियत भ्रमणों की संख्या /अवधि को ध्यानपूर्वक नोट कर लें।
6. सुनिश्चित करें कि आपके भ्रमण कार्यक्रम की प्रचार प्रसार कर दिया गया है।
7. उन क्षेत्रों /मतदान केंद्रों को चिह्नित कर लें जिसपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रेक्षक –क्या करें/ क्या न करें

क्या करें -

8. सुनिश्चित कराएं कि वांछित मात्रा में निर्वाचन सामग्रियाँ उपलब्ध हैं।
9. विधि व्यवस्था की स्थिति का स्वतंत्र रूप से आकलन करें।
10. कम से कम 5 प्रतिशत मतदान केंद्रों का रैंडम जांच कर लें।
11. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों का अनुश्रवण करें।
12. प्रशिक्षण सत्रों में स्वयं भी सम्मिलित हों।
13. प्रत्याशियों द्वारा किये जा रहे निर्वाचन व्यय का स्वयं आकलन करें।
14. मुख्यालय छोड़ने से पहले आयोग की अनुमति अवश्य प्राप्त करें।

प्रेक्षक –क्या करें/ क्या न करें

क्या न करें

1. ब्रीफिंग बैठकों से विमुक्ति हेतु कोई अनुरोध न करें।
2. अपने प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित किसी के साथ चर्चा नहीं करें।
3. किसी भी परिस्थिति में प्रिंट एवम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं करेंगे।
4. प्रत्यशियों की बैठक अपने स्तर से आहूत नहीं करेंगे।
5. निर्वाचन क्षेत्र आवंटित कर दिए जाने के बाद आयोग की अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोड़े।
6. जिन मामलों में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता हो, उनसे संबंधित प्रतिवेदन भेजने में कतई विलम्ब न करें।

THANK YOU